न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 217 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :—** 2024 / 216
दायर दिनांक :— 25.09.2024 **निर्णय दिनांक :—** 12.03.2025

1. आनन्दकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति कुम्हार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स गिरीराज एन्टर प्राईजेज सगमनेर मालपानी ऐस्टेट कसरा डुमला सगमनेर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र जरिये भागीदार अधिकृत प्रतिनिधि संयज मालपानी पुत्र ओमकारनाथ
2. मैसर्स गिरीराज एन्टर प्राईजेज सगमनेर मालपानी हाउस आईजी रोड सगमनेर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र जरिये भागीदार अधिकृत प्रतिनिधि दक्ष मोदी पुत्र जितेन्द्र कुमार मोदी
3. चम्पा पत्नी देवीलाल जाति कुमावत निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. आईदान पुत्र बाबूराम जाति कुम्हार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. दीपाराम पुत्र चुतराराम जाति कुमावल निवासी चाडी तहसील आउ जिला फलोदी
6. मैसर्स राठी रिन्यूवेबल एनर्जी प्रा. लि. रजिस्टर्ड कार्यालय सी.वाई.बी—2 सी साईबर पार्क हेवी इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रवीण मोहनोत पि. नेमीचंद सा. मोहनोत सा. 372 तीसरी सी रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली
3. श्री मदनसिंह भाटी अधि. अप्रार्थी सं. 1 व 2

सहायक कलेक्टर ... फलोदी (राज.)

—:निर्णय:—

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 6.4750 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी अधिकारों भूमि के चिपती अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 697 / 2787 रकबा 20.2343 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 697 / 3 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि 697 / 2888 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि खसरा नम्बर 705 / 1 रकबा 1.6026 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि 711 / 1 रकबा 3.6422 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 712 / 1 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 710 / 1 रकबा 0.1214 हैकटेयर तथा अप्रार्थी संख्या 6 की भूमि खसरा नम्बर 711 / 2 रकबा 0.6556 हैक्टेर मौजा बाप में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के खेत

12/3/25

से लगती डामर सड़क स्थित है जो बाप से नोख जाती है। प्रार्थी के खेत की भूमि में आने जोन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से आना जाना पड़ता है, प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि ने पूर्व में उपयोग लिये जा रहे रास्ते को बंद करने करने पर उतारू है। वर्तमान में प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि में से डामर सड़क जो मौके पर बाप से नोख जाती है जिस डामर सड़क तक पहुंच के प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र इत्यादि दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 29 की भूमि में आने जाने हेतु पड़ोसी खसरान नम्बर की भूमि में से रास्ता चाहा गया है परन्तु पटवारी हल्का एवं तहसीलदार बाप रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर के चिपता खसरा नम्बर 28 जो की कटाणी रास्ता चल रहा है। उक्त कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 28 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)